[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 34 /2021- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2021

सा.का.नि (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 और 47 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, बिल ऑफ एंट्री (एलेक्ट्रोनिक इंटिग्रेटेड डिकलेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग) नियमावली, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:- (1) इन विनियमो को बिल ऑफ एंट्री (एलेक्ट्रोनिक इंटिग्रेटेड डिकलेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग) संसोधन नियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. बिल ऑफ एंट्री (एलेक्ट्रोनिक इंटिग्रेटेड डिकलेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग) नियमावली, 2018 (एतश्चिमन पश्चात जिसे उक्त विनियमावली से संदर्भित किया गया है) में विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, उप-वाक्य (ग) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

'(गक) "कस्टम्स औटोमेटेड सिस्टम" से अभिप्राय इंडियन कस्टम्स एलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम से है;'.

3. उक्त विनियमावली में, विनियम 3 और 4 में, अभिव्यक्ति "कस्टम्स औटोमेटेड सिस्टम" और "कस्टम्स औटोमेटेड सिस्टम" जहां जहां भी ये आए हो, वहाँ वहाँ इनके स्थान पर, अभिव्यक्ति "कॉमन पोर्टल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. उक्त विनियमावली में, विनियम 4 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(1)(क) कस्टम्स पोर्ट (इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर फ्रेट स्टेशन से भिन्न) जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, प्राधिकृत व्यक्ति को जिस दिन उस कस्टम्स पोर्ट पर माल को लाने वाला यान पहुँचता हो, उसके तत्काल पूर्व वाले दिन (जिसमे अवकाश के दिन भी शामिल है) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा:

बशर्ते कि जहां उक्त माल को निम्नलिखित में से किसी भी देश से भेजा गया हो वहाँ प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त यान के उक्त आगमन के दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा:-

(i) बंगलादेश;
(ii) मालदीव;
(iii) म्यांमार ;
(iv) पाकिस्तान ;
(v) श्रीलंका.

(ख) कस्टम्स एयरपोर्ट जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, के मामले में, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे कस्टम्स एयरपोर्ट पर माल को लाने वाले एयरक्राफ्ट के पहुँचने के दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा।

(c) इनलैंड कंटेनर डिपो या एयर फ्रेट स्टेशन जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, के मामले में, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे इनलैंड कंटेनर डिपो या एयर फ्रेट स्टेशन पर माल को लाने वाले वाहन (रेलगाड़ी समेत) के पहुँचने के दिन के तत्काल पूर्व वाले दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा।

(घ) लैंड कस्टम्स स्टेशन जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, के मामले में, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे लैंड कस्टम्स स्टेशन पर माल को लाने वाले वाहन (रेलगाड़ी समेत) के पहुँचने के दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा।

[फा. स. 450/148/2015- सीमाशुल्क IV]

आर. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: उक्त प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि 447 (अ) दिनांक 11 मई, 2018 के तहत प्रकाशित कि गयी थी।